निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 32 / 2023
दायरा दिनांकः—22.06.2023
निर्णय दिनांकः— 26.3.25

उनवान

1. गोरधन आयु 81 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति बलाई चमार निवासी आंचोली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. लटुर पुत्र गणेश जाति चमार निवासी पीपल्या तहसील छबडा (मृतक)
2. राजेन्द्र पुत्र लटुर
3. हेमराज पुत्र लटुर
4. बनासी पुत्र लटुर
5. उर्मिला पुत्री लटुर
6. सावित्री पुत्री लटुर जाति चमार निवासीगण पीपल्या जागीर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
7. मुकेश पुत्र रामदयाल जाति धोबी निवासी मोरेली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
8. राजस्थान सरकार जर्से तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 26-3-25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल — प्रार्थी
2. श्री दीपक वर्मा — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर मिन 33 रकबा 7 बीघा 08 बिरवा माल खातौली तहसील छबडा जिला बारों राजस्थान में वाके है उक्त आराजी मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2045 ता 48 एवं 2049 ता 52 श्री कंवरिया पुत्र कान्हा जी जाति चमार निवासी आंचोली तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी। उक्त आराजी के बाबत तत्कालीन खातेदार कंवरिया पुत्र कान्हा ने एक वसीयतनामा दिनांक 22.05.1990 को प्रार्थी के हक में आलेखित करवाकर अपना अंगूठा रूबरू गवाहान लगाते हुये उक्त वसीयतनामे को वास्ते रजिस्ट्रेशन कार्यालय सब रजिस्ट्रार छबडा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे सब रजिस्ट्रार महोदय ने दिनांक 22—5—1990 को प्रमाणित करवाकर रजिस्टर्ड कर दिया जिसे सब राजेस्ट्रार छबडा ने

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

दिनांक 22–5–1990 को पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 2 पृष्ठ संख्या 103 क्रम संख्या 3190 पर पंजीबद्ध कर दिया। प्रार्थी के हक में वसीयतनामा निष्पादित व रजिस्टर्ड हो जाने के बाद खातेदार कंवरिया का इन्तकाल बहक वादी निष्पादित होना था लेकिन इन्तकाल संख्या 166 से प्रार्थनापत्र के मद नम्बर–2 में वर्णित आराजी लटूर पुत्र गणेश जाति चमार निवासी पीपल्या तहसील छबडा के खातेदारी में दर्ज हो गई। इन्तकाल संख्या 166 से लदूर के खाते में दर्ज होने के पश्चात उक्त आराजी लटूर के वारिसान के इन्तकाल संख्या 184 से अप्रार्थी राजेन्द्र हेमराज बनासी उर्मिला सावित्री पुत्रियों लटूर चमार निवासी पीपल्याजागीर के खातेदारी में दर्ज हो गई। उक्त आराजी जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 में इन्तकाल संख्या 250 से हेमराज बनासी सावित्री का नाम उर्मिला पुत्री लदूर के हक में हकत्याग हो जाने से उक्त आराजी जमाबंदी सम्वत् 2065 ता 68 में राजेन्द्र पुत्र लटूर उर्मिला पुत्री लटूर जाति चमार जिसकी जाति इन्तकाल संख्या 282 से मेघवाल दर्ज हो गयी के खातेदारी में दर्ज हो गई थी। खातेदार राजेन्द्र पुत्र लटूर व उर्मिला पुत्री लटूर जाति मेघवाल निवासी पीपल्याजागीर ने उक्त आराजी का बेचान कर देने पर इन्तकाल संख्या 380 व इन्तकाल सख्या 403 वाके खातोली से उक्त आराजी प्रतिवादी मुकेश पुत्र रामदयाल धोबी निवासी मौरेली तहसील छबडा के खातेदारी में दर्ज हो गई और वर्तमान में भी उक्त आराजी इसी कदर राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। तत्कालीन खातेदार वक्त वसीयत कंवरिया आराजी खसरा नम्बर मिन 33 रकबा 7 बीघा 08 बिस्वा माल खातौली तहसील छबडा का खातेदार टीनेन्ट था और उसी के कब्जे में उक्त आराजी थी। खातेदार कंवरिया ने उक्त आराजी को बजरिये वसीयतनामा निष्पादित व रजिस्टर्ड करा देने के बाद तथा कंवरिया का स्वर्गवास हो जाने पर उक्त वसीयतनामा अस्तित्व में आ जाने पर उक्त आराजी को अपने खातेदारी में दर्ज करा पाने का अधिकारी होने पर भी राजस्व अधिकारियो ने उक्त आराजी का इन्तकाल संख्या 166 वाके खातौली तहसील छबडा लदूर पुत्र गणेश चमार के नाम दर्ज कर दिया इन हालात में प्रार्थी अधिकारी है कि वह इन्तकाल संख्या 166 जिससे लदूर का नाम खातेदारी में दर्ज हुआ है उसे निरस्त करवा ले। तथा लदूर की मृत्यु होने के बाद उसके वारिसान के हक में निर्णित इन्तकाल संख्या 184 वाके खातौली एवं इन्तकाल संख्या 250 व इन्तकाल संख्या 380 व 403 माल खातौली को निरस्त करवाकर प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी में दर्ज करवा ले। खातेदार श्री कंवरिया खसरा नम्बर मिन 33 का खातेदार टीनेन्ट था तथा कंवरिया ने प्रार्थी के हक में खसरा नम्बर मिन 33 जिसका रकबा 7 बीघा 08 बिस्वा माल खातौली का निष्पादित की थी तथा वसीयत का रजिस्ट्रेशन भी सब रजिस्ट्रार छबडा के यहाँ करवाया था लेकिन टंकन करते समय उक्त आराजी खसरा नम्बर मिन 33 के स्थान पर मिन 35 दर्ज हो गई जबकि खातेदार कंवरिया खसरा नम्बर मिन 35 का न तो खातेदार था और न उसका कब्जा था बल्कि आराजी अन्य खातेदार चतरू पुत्र रतनलाल, प्रेम, रघुनाथ पुत्र अमरा जाति कबाडी साकिन खातौली के खातेदारी व कब्जे में थी। खातेदार कवरिया का खसरा नम्बर 35 से किसी किस्म का संबंध व सरोकार नहीं था उन्होने खसरा नम्बर 35 के बाबत वसीयतनामा तहरीर व रजिस्टर्ड भी नहीं करवाया। ऐसी सूरत में रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनाक 22.05.1990 में लिखी गई आराजी का खसरा नम्बर मिन 35 के स्थान पर मिन 33 पढ़ा जावे तथा उक्त वसीयतनामे के आधार पर प्रार्थनापत्र के मद नम्बर–2 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर मिन 33 में वर्णित 7 बीघा 08 बिस्वा वाके खातोली का एकमात्र खातेदार कृषक घोषित किया जावे। प्रार्थी कंवरिया जी के जीवनकाल में भी उनके साथ उक्त विवादित आराजी की काश्त करता था और कंवरिया जी के इन्तकाल के बाद बजरिये

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वसीयत उक्त आराजी का एकमात्र कृषक होकर उक्त आराजी पर काबिज है और काश्त कर रहा है। अभी हाल ही में अप्रार्थी संख्या 7 मुकेश विवादित आराजी पर कब्जा करने व प्रार्थी को बेदखल करने दिनांक 18–10–2022 को आये और प्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल करने हेतु अप्राथर्थी संख्या–7 यह भी कहने लगा कि उक्त आराजी उसके खातेदारी में है इस पर प्रार्थी ने इस बाबत वकील साहब से दरयाप्त की तो उन्होने प्रस्तुत वाद प्रस्तुत करने की सलाह दी। लिहाजा यही तिथि बिना मुखास्मत प्रार्थनापत्र हाजा करार दी जाती है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में विद्यमान है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं हुई तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल वसीयतनामा दिनांक 22.05.1990 नकल नामान्तरण संख्या 64 ग्राम खातोली नकल जमाबन्दी ग्राम खातोली सम्वत् 2045–48 नकल जमाबनदी ग्राम खातोली सम्वत् 2049–52 खाता संख्या 18 नकल जमाबन्दी ग्राम मानपुरा सम्वत् 2059–62 खाता संख्या 66 नकल नामान्तरण संख्या 166 दिनांक 22.09.1992 नकल नामान्तरण संख्या 184 दिनांक 05.07.1999 नकल नामान्तरण संख्या 249 दिनांक 20.05.2008 नकल नामान्तरण संख्या 250 दिनांक 20.05.2008 नकल नामान्तरण संख्या 380 दिनांक 16.10.2020 नकल नामान्तरण संख्या 403 दिनांक 22.11.2021 नकल जमाबन्दी ग्राम खातोली सम्वत् 2057–60 नकल जमाबन्दी ग्राम खातोली सम्वत् 2061–64 नकल जमाबन्दी ग्राम खातोली सम्वत् 2065–68 नकल जमाबन्दी ग्राम खातोली सम्वत् 2069–72 सम्वत् 2057–60 सम्वत् 2049–52 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके आंचोली तहसील छबडा में स्थित है। उक्त आराजी कंवरिया पुत्र कान्हा जाति चमार निवासी आंचोली तहसील छबडा के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी। कंवरिया पुत्र कान्हा द्वारा दिनांक 22.05.1990 को एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा प्रार्थी के हक में करवाई थी। वसीयतनामा का नामान्तरण नही खुला परन्तु नामान्तरण संख्या 166 से विवादित आराजी लटुर पुत्र गणेश के खातेदारी में दर्ज हो गई। लटुर के खाते दर्ज होने के बाद उक्त भूमि लटुर के वारिसान के नामान्तरण संख्या 184 से अप्रार्थी क्रम 2 ता 6 के खातेदारी में दर्ज हो गई। राजेन्द्र व उर्मिला द्वारा भूमि का बेचान कर देने से नामान्तरण संख्या 380 व 403 से प्रतिवादी मुकेश पुत्र रामदयाल धोबी निवासी मोरेली के खातेदारी में दर्ज हो गई। खातेदार कंवरिया द्वारा उक्त वसीयत रजिस्टर्ड करा देने के बाद तथा कंवरिया का स्वर्गवास हो जाने पर उक्त वसीयतनामा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। नामान्तरण संख्या 166 लटुर पुत्र गणेश के नाम दर्ज किया गया है उसे खारिज कराने के अधिकारी है लटुर की मृत्यु के बाद नामान्तरण संख्या 184 एवं 250 व नामान्तरण संख्या 380 व 403 निरस्त करवा कर खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है खातेदार कंवरिया खसरा नम्बर मिन 33 का खातेदार टीनेट था कंवरिया द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत करवाई गई थी रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर प्रार्थी खातेदार अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है खातेदार कंवरिया विवादित भूमि पर काश्त करता था उनके

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

मरने के बाद प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा था प्रार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करने पर अप्रार्थीगण आमादा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 33 रकबा 7.08 बीघा का खातेदार कंवरिया पुत्र कानाजी था कंवरिया द्वारा दिनांक 16.10.1990 को जर्ये रजिस्टर्ड वसीयतनामा लटुर पुत्र गणेश के पक्ष में की गई। उक्त वसीयत कंवरिया की अन्तिम वसीयत थी।जिसके आधार पर लटुर पुत्र गणेश के नाम नामान्तरण संख्या 166 दर्ज हुआ तभी से विवादित आराजी पर लटुर काश्त करता चला आ रहा है लटुर का स्वर्गवास हो जाने के बाद उक्त भूमि का फोती नामान्तरण लटुर के वारिसान के नाम दर्ज हुआ। अप्रार्थी क्रम 3,4,5 द्वारा अपने हिस्से का हक त्याग दिनांक 29.02.2008 को अप्रार्थी क्रम 5 उर्मिला को कर दिया उर्मिला अपने हिस्से पर काश्त करती चली आ रही थी। उर्मिला ने अपना हिस्सा 4/5 जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.10. 2020 को अप्रार्थी क्रम 7 मुकेश के पक्ष में बेचान कर दिया तथा अप्रार्थी क्रम 2 राजेन्द्र ने भी अपना हिस्सा 1/2 दिनांक 25.10.2021 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अप्रार्थी क्रम 7 मुकेश को बेचान कर दिया तभी से मुकेश अपनी आराजी पर काष्त करता चला आ रहा है चुंकि सम्पूर्ण भूमि को बेचान अप्रार्थी क्रम 7 को किया जा चुका है विवादित आराजी पर प्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नही रहा। प्रार्थी को वसीयत दिनांक 22.05.1990 को करवाई गई इसके बाद दिनांक 16.10.1990 को मृतक लटुर के पक्ष में वसीयत कर दी थी। खातेदार द्वारा जो अन्तिम वसीयत की है वह ही मानी जायेगी प्रार्थी द्वारा 1990 से आज दिन तक कोई कार्यवाही नही की है करीबन 35 वर्ष गुजरने के बाद यह द्वारा प्रस्तुत किया है प्रार्थी का भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा। प्रार्थी को खातेदार के विरूद्ध स्थगन प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खातोली तहसील छबडा सम्वत् 2045–48 खाता संख्या 9 के अनुसार कंवरिया पुत्र कान्हा जाति चमार का नाम दर्ज है नकल वसीयतनामा दिनांक 22.05.1990 के अनुसार कंवरिया पुत्र कान्हा द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड वसीयत से खसरा नम्बर मिन 35 रकबा 7.08 बीघा गोरधन पुत्र भैरूलाल के पक्ष में की गई। नामान्तरण संख्या 64 ग्राम खातोली कंवरिया को गेर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिया गया। नकल नामान्तरण संख्या 166 दिनांक 22.09. 1992 खातेदार कंवरया द्वारा लटुर के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत करवाई गई का नामान्तरण दर्ज हुआ। नकल नामान्तरण संख्या 184 मृतक खातेदार लटुर का फोती नामान्तरण उसके वारिसान के पक्ष में दर्ज किया गया। नकल नामान्तरण संख्या 250 दिनांक 20.05.2008 ग्राम खातोली खातेदार हेमराज, बनासी, सावित्री, द्वारा उर्मिला के पक्ष में हक त्याग का नामान्तरण तस्दीक होना पाया जाता है नामान्तरण संख्या 380 से उर्मिला द्वारा अपना 4/5 चुकता हिस्सा मुकेश को बेचान करने का तस्दीक किया गया। नामान्तरण संख्या 403 खातेदार राजेन्द्र द्वारा अपना 1/5 हिस्सा मुकेश को बेचान करने का नामान्तरण दर्ज किया गया। उपरोक्त दस्तावेजो एवं पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आते है कि विवादित आराजी कंवरिया के खातेदारी की थी कंवरिया द्वारा दिनांक 22.05.1990 को गोरधन के पक्ष में एवं दिनांक 16.10.1990 को लटुर के पक्ष मे वसीयत करवाई गई। चुंकि

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वादी के अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में प्रस्तुत साक्ष्यों/सबूतों के आधार पर किया जाएगा परन्तु विधि का यह सुस्थापित नियम कि है वाद की हैसियत वैध होती है। इस आधार पर वादी का प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (चारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा